

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 09/2020-21

आदेश की क०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
<p>13/1/21</p>	<p>आवेदक जागा कुल्लू पिता-स्व० बुधु कुल्लू जाति खड़िया, ग्राम- कलिगा थाना - बसिया, जिला- गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।</p> <p align="center">भूमि का विवरणी</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th> <th>थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> <th>जमीन किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कलिगा</td> <td>141</td> <td>65</td> <td>1505</td> <td>1.42 एकड़ में से 0.20 एकड़</td> <td>टांड</td> </tr> </tbody> </table> <p>चौहदी :- उत्तर - सुषमा सबनम बा: दक्षिण - पत्थल अगुस्टीन डुगडुंग पूरब - राम प्रसाद साहु पश्चिम - बिकेता नीज।</p> <p align="center">जमीन विक्रेता का विवरणी</p> <p>जागा कुल्लू पिता-स्व० बुधु कुल्लू जाति खड़िया, ग्राम- कलिगा थाना - बसिया, जिला- गुमला</p> <p align="center">जमीन क्रेता का विवरणी</p> <p>प्रकाश मिंज पिता स्व० देवनिस मिंज, जाति उरॉव, ग्राम लोंगा केवंझी टोली, थाना बसिया, जिला गुमला।</p> <p>आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता प्रकाश मिंज पिता स्व० देवनिस मिंज, जाति उरॉव, ग्राम लोंगा केवंझी टोली, थाना बसिया, जिला गुमला को आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया।</p>	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	कलिगा	141	65	1505	1.42 एकड़ में से 0.20 एकड़	टांड	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
कलिगा	141	65	1505	1.42 एकड़ में से 0.20 एकड़	टांड									





अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 29/रा0 दिनांक 16/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के पश्चात आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति खड़िया एवं उरॉव के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक जागा कुल्लू पिता-स्व0 बुधु कुल्लू जाति खड़िया, ग्राम- कलिगा थाना - बसिया, जिला- गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा ~~साथ~~ प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।




भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)।


भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)।